भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4349
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

विधवा पुनर्विवाह सहायता योजना

4349. **श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः**
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विधवा पुनर्विवाह सहायता योजना शुरू की है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में बेहतर सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के संदर्भ में इसके क्या परिणाम हुए हैं;

(ग) उक्त योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है तथा देश के वंचित क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में विधवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना को किस प्रकार तैयार किया गया है; और

(घ) क्या इस योजना का विशेषकर जलगांव जिले में कोई प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो इस क्षेत्र में विधवाओं के कल्याण और सामाजिक एकीकरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (घ): विभिन्न राज्य सरकारों के पास विधवा पुनर्विवाह की योजनाएं हैं। लेकिन केन्द्र सरकार के स्तर पर ऐसी कोई योजना नहीं है।

तथापि, विधवाओं सहित महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश भर में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं –

(i) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन घटक निराश्रित महिलाओं और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को आश्रय, भोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, मिशन शक्ति का सखी निवास घटक कामकाजी महिलाओं एवं रोजगार और उद्यमिता के लिए उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए किफायती तथा सुरक्षित आवास प्रदान करता है।
(ii) बीमा कवरेज और पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई**) कार्यान्वित की गई हैं।

(iii) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कठिन परिश्रम को कम करने एवं जीवन की सुगमता को बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत **11.6 करोड़ से अधिक शौचालयों** का निर्माण किया गया है, **10.3 करोड़ परिवारों** को उज्ज्वला योजना के माध्यम से **खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन** और जल जीवन मिशन के माध्यम से **लगभग 15 करोड़ घरों** में **स्वच्छ और पीने योग्य पानी के कनेक्शन** उपलब्ध कराए गए हैं।

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराने तथा शहरी क्षेत्रों में स्लम निवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की आवास आवश्यकता को पूरा करने के माध्यम से सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है।

(v) **आयुष्मान भारत** के अंतर्गत सरकार 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को 1200 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के माध्यम से नि:शुल्क उपचार प्रदान कर रही है। इनमें से, 141 से अधिक चिकित्सा पैकेज विशेष रूप से महिलाओं की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस योजना के तहत सात प्रकार की जांच (टीबी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह का

कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और मोतियाबिंद) की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 150,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) हैं, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहा जाता है, जो स्वास्थ्य सेवा को समुदाय तक पहुचाते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसमें गरीब और वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(vi) देश भर में 13,000 से ज़्यादा **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके)** कार्य कर रहे हैं। पीएमबीजेके में महिला के लिए महिला विशिष्ट लगभग 40 से विशेष वस्तुओं सहित किफ़ायती दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा, 1 रुपये प्रति पैड की बेहद किफ़ायती कीमत पर 'सुविधा सैनिटरी नैपकिन' नाम से सैनिटरी नैपकिन बेचने का भी प्रावधान है।

(vii) **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना** के तहत महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(viii) महिलाएं **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएम-जेडीवाई**) के अंतर्गत भी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है, जो विभिन्न कल्याण योजनाओं, ऋण और बीमा सेवाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ तक पहुंच भी प्रदान करती है।

(ix) **स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएमएसई**) जैसी योजनाएं रोजगार/स्वरोजगार एवं ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं।

*****